

प्रेषक,
अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 31 जुलाई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं आपके पत्र संख्या-794/3-ले0(1)/बजट/2017-18, दिनांक 06.07.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-07 के अधीन लेखाशीर्षक-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अधीन संलग्न विवरणानुसार धनराशि ₹ 85888 हजार (₹ आठ करोड़ अठठावन लाख अठ्ठासी हजार मात्र) एवं लेखाशीर्षक-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 800-अन्य व्यय, 03-एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट को अनुदान की मानक मद सं0-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत ₹ 133 हजार (₹ एक लाख तैंतीस हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि अर्थात् कुल धनराशि ₹ 86021 हजार (₹ आठ करोड़ साठ लाख ईक्कीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- i. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश संख्या-610, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार ही किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ii. वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
- iii. मानक मद सं0-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता तथा मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किशतों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी एवं द्वितीय किशत को प्रथम किशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही जारी किया जायेगा।

- iv. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
 - v. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
 - vi. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - vii. एन0आई0सी0 द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों हेतु किया जायेगा, जो कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृत हों तथा उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।
 - viii. संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक बी0एम0-8 (पुराना बी0एम0-13) पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
 - ix. उक्त व्यय संलग्नक में अंकित तालिकानुसार लेखानुदान वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-07 के अधीन लेखाशीर्षक-3454 के सुसंगत उपलेखाशीर्षकों के अधीन डाला जायेगा।
2. यह आदेश वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/ 2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।
3. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 तथा तदक्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के क्रम में सॉफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन सम्बन्धी आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
- संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव

पू0सं0-190 / XXVI/दो(06) / 2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराँय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
6. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपान सिंह मनराल)

अपर सचिव।

शासनादेश संख्या: 190 / XXVI/दो(06)/2017, दिनांक 31 जुलाई, 2017 का संलग्नक।

राजस्व व्यय

शीर्षक	(धनराशि हजार ₹ में)	
	वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति	
	मतदेय	भारित
अनुदान सं0-07		
3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
03-अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान		
01-वेतन	61910	
02-मजदूरी	133	
03-मंहगाई भत्ता	3715	
04-यात्रा व्यय	667	
05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	267	
06-अन्य भत्ता	5778	
07-मानदेय	33	
08-कार्यालय व्यय	500	
09-विद्युत देय	333	
10-जलकर/जल प्रभार	53	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	233	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	133	
13-टेलीफोन व्यय	333	
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	933	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7333	
17-किराया, उपशुल्क पर व्यय	667	
18-प्रकाशन	500	
26-मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	133	
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1167	
42-अन्य व्यय	167	
44-प्रशिक्षण	133	
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफवेयर का कय	200	
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का कय	467	
(₹ आठ करोड़ अठठावन लाख अठठासी हजार मात्र)	85888	

Handwritten signature/initials

तालिका सं०-2

एन०आई०सी० स्टेट यूनिट को अनुदान

(धनराशि हजार ₹ में)

शीर्षक	वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति	
	मतदेय	भारित
3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 800-अन्य व्यय 03-एन०आई०सी० स्टेट यूनिट को अनुदान		
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	133	-
योग:- (₹ एक लाख तैंतीस हजार मात्र)	133	-

५
(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - 190/XXVI/Two(06)/2017

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1708070010

आवंटन पत्र दिनांक - 01-Aug-2017

HOD Name - Director Economic & Statistics (2934)

1: लेखा शीर्षक	3454 - जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
	800 - अन्य व्यय	
	03 - एनआईसी स्टेट यूनीट को अनुदान	
	00 - एनआईसी स्टेट यूनीट को अनुदान	

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	67000	133000	200000
	67000	133000	200000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

133000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - 190/XXVI/Two(06)/2017

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1708070007

आवंटन पत्र दिनांक - 01-Aug-2017

HOD Name - Director Economic & Statistics (2934)

1: लेखा शीर्षक 3454 - जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान

00 - अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	61910000	61910000	123820000
02 - मजदूरी	67000	133000	200000
03 - मंहगाई भत्ता	3714000	3715000	7429000
04 - यात्रा व्यय	333000	667000	1000000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	133000	267000	400000
06 - अन्य भत्ते	2889000	5778000	8667000
07 - मानदेय	17000	33000	50000
08 - कार्यालय व्यय	250000	500000	750000
09 - विद्युत देय	167000	333000	500000
10 - जलकर / जल प्रभार	27000	53000	80000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	117000	233000	350000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	67000	133000	200000
13 - टेलीफोन पर व्यय	167000	333000	500000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और घेद	467000	933000	1400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	3667000	7333000	11000000
17 - किराया, उपश्रुक्त और कर-स्व	333000	667000	1000000
18 - प्रकाशन	250000	500000	750000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	67000	133000	200000
27 - विक्रित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	333000	1167000	1500000
42 - अन्य व्यय	83000	167000	250000
44 - प्रशिक्षण व्यय	67000	133000	200000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	100000	150000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	200000	300000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	233000	467000	700000
	75508000	85888000	161396000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

85888000